कार्यालय : मध्याह्न भोजन योजना, जमुई।

मध्याह्न भोजन योजना के लिए संवेदक चयन हेतु निविदा

जमुई जिलान्तर्गत ~~विभिन्न~~ प्रखण्ड झाझा के लिए वित्तिय वर्ष 2017–18 की अवधि में मध्याह्न भोजन योजना के लिए खाद्यान्न के परिवहन–सह–हथालन हेतु निविदाऐं आमंत्रित की जाति है। निविदा निम्नांकित पता पर निबंधित डाक से शिक्षा विभाग, कार्यालय मध्याह्न भोजन योजना समिति, जमुई, सतगामा, मलयपुर रोड, जमुई 811307 भेजा जाय । निविदा दिनांक 26.09.17 को 05.00 बजे पूर्वाह्न तक निश्चित रुप से प्राप्त हो जानी चाहिए। प्राप्त निविदाऐं दिनांक 24.10.17 को 4:00 बजे जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष निविदादाताओं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जायेगी।

निविदा को विस्तृत जानकारी एवं शर्तो के लिए वेबसाईट **www.jamui.bih.nic.in**, पर तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई/जिला पदाधिकारी, जमुई/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, जमुई के सूचना पट् पर देखा जा सकता है।

24/08/17
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना–सह–सचिव,
जिला स्तरीय चयन समिति, जमुई।

26.08.17
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
–सह–सदस्य,
जिला स्तरीय चयन समिति, जमुई।

28/8/17
जिला पदाधिकारी
–सह–अध्यक्ष,
जिला स्तरीय चयन समिति, जमुई।

कार्यालय : मध्याह्न भोजन योजना, जमुई।

(Email- mdmjamui@gmail.com)

संवेदक चयन से सम्बन्धित विज्ञापन

निविदा आमंत्रण सूचना

पत्रांक 1010 जमुई, दिनांक 29/8/17

निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार, पटना के पत्रांक–5068, दिनांक–25.04.2011 में निहित निदेश एवं जिला पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में दिनांक–05.07.2017 को आयोजित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में जमुई जिला अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 की अवधि में सम्बन्धित राज्य खाद्य निगम के गोदाम से उठाव कर प्रखण्ड के विद्यालयों तक खद्यान्न वितरण करने के लिए संवेदक का चयन हेतु निम्नांकित शर्तो के अधीन मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है।

- वाहन का पंजीयन जमुई जिला का होना चाहिए।
- वाहन कर्मिशियल होना जरूरी है।
- वाहन का परमिट सक्षम प्राधिकार से निर्गत होना चाहिए।
- वाहन का फिटनेस तथा इन्श्योरेंस अनिवार्य है।
- टैक्स भुगतान अद्यतन होना चाहिए।
- चयनित होने के पश्चात् यदि किसी कारणवश/दुर्घटनावश वे अपना स्वयं के वाहन को बेचते है और दुसरा वाहन खरीदते है तो इसकी सूचना कार्यालय को देनी होगी।
- समान अर्हता होने की स्थिति मे वैसे व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगा, जिसके पास अपना ट्रैक्टर/अन्य व्यावसायिक वाहन ज्यादा हो।
- **वाहन से सम्बन्धित सभी अद्यतन आवश्यक कागजात–यथा ऑनर बुक, इंश्योरेंस एवं टैक्स टोकन की सभी छायाप्रति को अभिप्रमाणित कर निविदा में संलग्न करना आवश्यक होगा। वाहन से सम्बन्धित कागजात अप्राप्त रहने या अद्यतन नहीं रहने या किसी प्रकार की त्रुटि रहने पर एकरारनामा मान्य नहीं समझा जाएगा। निविदा में संलग्न किये जाने वाले सभी कागजात स्वअभिप्रमाणित होना चाहिए।**

02. 15 पंचायत तक के प्रखंण्ड हेतु कम से कम 5 ट्रेक्टर–टेलर, पिकअप भान सहित एवं 15 से अधिक पंचायत वाले प्रखण्ड हेतु 08 ट्रेक्टर–टेलर, पिकअप भान सहित के मालिक के इस आशय का एकरारनामा सम्पन करके निविदा में प्रस्तुत करना होगा कि संवेदक के रूप में निविदादाता का चयन होने की स्थिति में वे अपना वाहन एवं चालक इत्यादि खाद्यान्न ढुलाई हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे। शपथ पत्र मान्य नही होगा।

03. निविदादाता को निविदा के साथ 50000.00 (पचास हजार) रूपए का बैंक गारंटी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना जमुई के पक्ष में निविदा के साथ जमा करना होगा। बैंक की गारंटी की वैद्यता होना चाहिए ।

04. निविदादाता को निविदा के साथ आरक्षी अधीक्षक के कार्यालय से छह महीने के अन्दर का निर्गत किया हुआ चरित्र प्रमाण पत्र (मुल प्रति में) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

05. निविदादता को दस हजार रूपए का अग्रिम सुरक्षित जामा राशि का डिमांड ड्राफ्ट निविदा के साथ जमा करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, जमुई के नाम से निर्गत होना चाहिए। संवदेक की सेवा जारी रहने तक सुरक्षित जमा राशि कार्यालय में जामा रहेगा।

06. एस0एफ0सी0 गोदाम से चावल का उठाव चयरित संवेदक एवं प्रखण्ड साधन सेवी, मध्याह्न भोजन योजना के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। उठाव किये गये खाद्यान्न की प्रविष्टि उठाव के समय ही संवेदक एवं प्रखण्ड साधन सेवी, के द्वारा एस0 आई0 ओ0 पर दी जाएगी। चावल की मात्रा एवं गुणवत्ता के लिए प्रखण्ड साधन सेवी एवं चयनित संवेदक संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगे। संवेदक को चावल उठाव हेतु वाहन, ईंधन एवं लगने वाले हथालन–परिवहन आदि की व्यवस्था अपनी कारनी होगी। संवेदक प्रखण्ड साधन सेवी से प्राप्त विद्यालयवार खाद्यान्न एडवाईस के अनुसार सम्बन्धित विद्यालयो को चावल विद्यालय के स्टोर तक पहूँचायेंगे तथा विहित प्रपत्र मे विद्यालय के प्रधानाध्यापक से चावल का प्राप्ति रसीद प्राप्त करेगे। संवेदक के द्वारा चावल का वनज इलेक्ट्रॉनिक कॉटा पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के सामने करके दिया जाएगा। विद्यालय से प्राप्त खाद्यान्न की प्राप्ति रसीद तुरंत संवेदक के द्वारा प्रखण्ड साधन सेवी को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रखण्ड साधन सेवी के द्वारा विद्यालयो मे संवेदक के द्वारा पहुँचाव किया गये चावल के सम्बन्ध में पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही खाद्यान्न प्राप्ति रसीद को सत्यापित करते हुए विपत्र कार्यालय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, जमुई मे जमा करेगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अपने स्तर से संतुष्ट होने के उपरांत क्विंटल 40/– की दर से हथालन एवं परिवहन की राशि का भुगतान करेंगे।

07. एस0 एफ0 सी0 गोदाम से विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने के दौरान दुर्घटना या किसी अन्य कारण से खाद्यान्न बर्बाद या चोरी होने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी तथा बाजार दर पर खाद्यान्न की क्षतिपूर्ति राशि की वसूली संवेदक से की जाएगी।
08. चयनित निविदादाता को खाद्यान्न की ढुलाई हेतु केवल उसी वाहन का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। जिसका एकरारनामा निविदा के साथ निविदादाता के द्वारा दिया गया है ढुलाई हेतु प्रयुक्त वाहनों पर मध्याह्न भोजन योजना, जमुई का वैनर रखना अनिवार्य होगा। वाहन पर वैनर में जिला कार्यक्रम पदधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना एवं प्रखण्ड साधन सेवी, मध्याह्न भोजन योजना का मोबाईल न0 भी लिखा होना अनिवार्य रहेगा।
09. संवेदक को चावल ढुलाई हेतु जब भी बुलाया जाएगा, अपेक्षित संख्या में सम्बन्धित माल ढुलाई के वाहन को लेकर एस0 एफ0 सी0 गोदाम पर आना होगा।
10. ससमय खाद्यान्न ढुलाई नहीं करने या अपेक्षित संख्या में वाहन नहीं लाने या चावल की अनियमितता में विद्यालय के प्रभारी के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संलिप्त रहने पर संविदा रद्द करते हुए कार्यालय में जमा राशि की जप्त कर एवं कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है।
11. वाहन मालिक से एकरारनाम स्टाम्प पेपर (नन जुडिशियल स्टाम्प पेपर) पर किया जाएगा तथा प्रत्येक वाहन मालिक का एकरारनामा पृथक–पृथक स्टाम्प पेपर पर किया जाएगा। एक वाहन का एकरारनामा किसी एक ही निविदादाता के साथ मान्य होगा। एक से अधिक निविदादाता के साथ एकरारनामा की स्थिति में सम्बन्धित वाहन मालिक का सभी एकरारनामा रद्द माना जाएगा।
12. निर्वाचित जनप्रतिनिधि या जन वितरण प्रमाणी के दुकानदार से निविदा स्वीकार्य नहीं होगा। निर्वाचित जनप्रतिनिधि या जन वितरण प्रणाली के दुकानदार नहीं होने का शपथ–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
13. निविदादाता को इस आशय का मूलरुप में शपथ–पत्र देना होगा कि उन्हें या उनके फर्म को किसी भी सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।
14. निविदा से सम्बन्धित जानकारी जिला कार्यालय/बेबसाईट से डाउनलोड करके प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट *www.jamui.nic.in* पर देखा जा सकता है।
15. निविदा की शर्तें को शिथिल करने या संशोधित करने तथा निविदा किसी भी समय रद्द करने का अधिकार चयन समिति का होगा।
16. एक से अधिक योग्य आवेदक होने की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से संवेदक का चयन किया जाएगा।
17. अन्य शर्ते चयनित संवेदकों के साथ एकरारनामा में दिया जायेगा।
18. **बंद लिफाफे ऊपर बड़े–बड़े अक्षरों में आवेदीत प्रखण्ड का नाम तथा आवेदक का नाम एवं मोवाईल न0 साफ–साफ लिखा होना चाहिए। आवेदन के साथ दो रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो ,पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति एवं निविदा से संबंधीत सारे कागजात का *Scan Copy CD* मे संलग्न करनी होगी।**

(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर) 26.08.17	(हस्ताक्षर) 26/8/17
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना–सह–सचिव जिला स्तरीय चयन समिति, जमुई	जिला शिक्षा पदाधिकारी –सह–सदस्य जिला स्तरीय चयन समिति, जमुई	जिला पदाधिकारी –सह–अध्यक्ष– जिला स्तरीय चयन समिति, जमुई